रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082023-247856
CG-DL-E-04082023-247856

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3343] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2023/श्रावण 12, 1945
No. 3343] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2023/SHRAVANA 12, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सं. 25/2023

विषयः अनन्य रुप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि उदगम से लिए गए और जब्त किए गए स्रोत से प्राप्त रेड सैन्डर्स वुड की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 3494(अ.): समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी ;एचएसद्ध, 2018 की अनुसूची–2 (निर्यात नीति) के अध्याय–44 के अंतर्गत रेड सैन्डर्स (टेरोकार्पससैंटुलाइनस) की नीतिगत शर्त में संशोधन करती है।

2. निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची–2 के अध्याय 44 में क्र.सं. 188क के तहत नीतिगत शर्त को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है **(परिवर्तन बड़े अक्षरों में किए गए हं)**

क्रम सं.	एचएस कोड	इकाई	मद का विवरण	निर्यात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
188क	44039918 44079990	कि. ग्रा.	अनन्य रुप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि उद्गम के लट्ठा रुप में	प्रतिबंधित	निम्नलिखित शर्तों/प्रलेखन के अध्यधीन लाइसेन्स के तहत निर्यात की अनुमतिः (i) निर्यात लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्रों के साथ उस राज्य के प्रधान	निम्नलिखित शर्तों/प्रलेखन के अध्यधीन लाइसेन्स के तहत निर्यात की अनुमतिः (i) निर्यात लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्रों के साथ उस राज्य के प्रधान मुख्य

			और जड़ रुप में रेड सैन्डर्स बूड		मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) द्वारा जारी उद्गम प्रमाण की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए जहां से स्टॉक खरीदा/निर्यात किया गया जिसमें वैध स्रोतों से खरीद की तारीख और खरीदी गई मात्रा का विवरण हो; (ii) इस तरह खरीदे गए और आवेदक के पास उपलब्ध स्टॉक की वर्तमान स्थिति के बारे में इस प्रयोजन के लिए पीसीसीएफ द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा स्टॉक के वास्तविक सत्यापन के बाद दिया गया प्रमाण पत्र भी निर्यात लाइसेंस के आवेदन के साथ होना चाहिए। (iii) निर्यात लाइसेन्स जारी करने के लिए आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा जो अन्य किन्ही शर्तों जैसे एमईपी, साइट्स के अंतर्गत मात्रात्मक सीमा की शर्त आदि जैसाकि समय–समय पर निर्धारित किया जाए, के अध्यधीन होंगे; (iv) भारतीय साइट्स प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक वार्षिक कोटा निर्धारित करेगा जिसकी एनडीएफ अध्ययन या सरकारी एजेंसियों की सिफारिषों के आधार पर समीक्षा की जा सकती है;	वन संरक्षक (पीसीसीएफ) द्वारा जारी उद्गम प्रमाण की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए जहां से स्टॉक खरीदा/निर्यात किया गया जिसमें वैध स्रोतों से खरीद की तारीख और खरीदी गई मात्रा का विवरण हो; (ii) इस तरह खरीदे गए और आवेदक के पास उपलब्ध स्टॉक की वर्तमान स्थिति के बारे में इस प्रयोजन के लिए पीसीसीएफ द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा स्टॉक के वास्तविक सत्यापन के बाद दिया गया प्रमाण पत्र भी निर्यात लाइसेंस के आवेदन के साथ होना चाहिए। (iii) निर्यात लाइसेन्स जारी करने के लिए आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा जो अन्य किन्ही शर्तों जैसे एमईपी, साइट्स के अंतर्गत मात्रात्मक सीमा की शर्त आदि जैसाकि समय–समय पर निर्धारित किया जाए, के अध्यधीन होंगे; (iv) भारतीय साइट्स प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक वार्षिक कोटा निर्धारित करेगा जिसकी एनडीएफ अध्ययन या सरकारी एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर समीक्षा की जा सकती है; **बीएसआई एनडीएफ रिपोर्ट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार रेड सैन्डर्स (टेरोकार्पस सैंटुलाइनस) हेतु निम्नलिखित वार्शिक निर्यात कोटा अनुमत है:** **(क) कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए रेड सैन्डर्स हेतु तमिलनाडु के लिए 900 मी.ट. का एक वार्शिक निर्यात कोटा (अप्रैल से मार्च):** **और** **(ख) रेड सैन्डर्स के वन्य नमूने हेतु भून्य निर्यात कोटा: निम्नलिखित भार्तों के अधीन होगा:–** **(i) राज्य सरकार भू संदर्भित साइटों और एमआईएस के**

						साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेगी जिसमें पेड़ों की संख्या, उनकी आयु और तने तक की ऊंचाई पर उनक व्यास दिया जाएगा। **(ii)** राज्यों की कार्य योजना दिशानिर्देशों में वन्य और गैर वन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण से रेड सैंडर्स वुड की वहनीय फसल हेतु अनुमोदित आवर्तन अवधि के साथ विशिश्ट प्रबंधन योजनाएं/फसल योजना भाामिल किए जाने की आवश्यकता है।

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

उपर्युक्त यथा उल्लिखित शर्तो के अधीन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए रेड सैंडर्स हेतु तमिलनाडू के लिए 900 मी. टन का एक वार्षिक निर्यात कोटा (अप्रैल से मार्च); और रेड सैंडर्स के वन्य नमुने हेतु शुन्य निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/03/एएम–19/ईसी/ई–33958]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2023

No. 25/ 2023

Subject: Amendment in Export Policy of Red Sanders wood exclusively sourced from cultivation origin obtained from private land (including Pattaland) and Confiscated source — regarding

S.O. 3494(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act,1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of Red Sanders (Pterocarpus santulinus) under Chapter 44 of ITC (HS), 2018, Schedule — 2 (Export Policy).

2. Policy condition against SI. No. 188A in Chapter 44 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items is amended as follows (**changes made are in bold letters**):

S. No.	**HS Code**	**Unit**	**Item Description**	**Export Policy**	**Current Policy Condition**	**Revised Policy Condition**
188A	44039918 44079990	Kg	Red Sanders wood in log form and roots, exclusively of cultivation origin obtained from private land (including Pattaland)	**Restricted**	Export permitted under license subject to the following conditions /documentation: (i) Applications for export license should be accompanied by attested copies of certificate of origin issued by the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) of the State from where the stocks were procured / exported, giving details of the date	Export permitted under license subject to the following conditions/documentation: (i) Applications for export license should be accompanied by attested copies of certificate of origin issued by the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) of the State from where the stocks were procured/exported, giving details of the date of procurement from legal sources and quantities procured; (ii) A certificate of the current

					of procurement from legal sources and quantities procured; (ii) A certificate of the current position of stocks so procured and available with the applicant given after physical verification of the stocks, by the authority nominated for the purpose by the PCCF, should also accompany application for export license. (iii) The applications shall be considered on merits for issue of export license, which shall be subject to any other conditions such as MEP, quantity ceilings requirements under CITES, etc. as may be prescribed from time to time; (iv)As per the recommendation of CITES Management Authority India, the MOEF&CC will fix an yearly quota, which may be reviewed based on NDF study or recommendations of the Government agencies;	position of stocks so procured and available with the applicant given after physical verification of the stocks, by the authority nominated for the purpose by the PCCF, should also accompany application for export license. (iii) The applications shall be considered on merits for issue of export license, which shall be subject to any other conditions such as MEP, quantity ceilings requirements under CITES, etc. as may be prescribed from time to time; (iv) As per the recommendation of CITES Management Authority India, the MOEF&CC will fix an yearly quota, which may be reviewed based on NDF study or recommendations of the Government agencies; **In accordance with the recommendations of the BSI NDF Report, MoEF&CC, the following annual export quotas for red sanders (Pterocarpus santulinus) is allowed:** **(a) An annual export quota (April to March) of 900 MT for Tamilnadu for artificially Propagated red sanders: and** **(b) a zero export quota for wild specimens of red sanders**: **subject to the following conditions :-** **(i) State Govt shall develop a digital platform with Geo referenced sites and MIS giving the no of trees, their age and diameter at breast height.** **(ii) The working plan Guidelines of States need to include specific management plans/ harvest Plans with approved rotation periods for sustainable harvest of red anders wood from plantations in forest and non-forest areas.**

3. **Effect of this Notification**:

An annual export quota (April to March) of 900 MT for Tamil Nadu for artificially Propagated red sanders; and a zero export quota for wild specimens of red sanders, subject to conditions as mentioned above is notified.

[F. No. 01/91/180/03/AM-19/EC/E- 33958]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Dir. Gen. of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.04 21:48:06 +05'30'